3/6/16

543/16 R688/FS/16 31/5/16

सूचना का अधिकार

प्रधान मंत्री कार्यालय

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली - 110 011
दिनांक: 13/5/ 2016

संख्या आरटीआई/4220/2016-पीएमआर

3142
2/6/16

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्री राकेश श्रीवास्तव से प्राप्त दिनांक 1.5.2016 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 7.5.2016 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गई है।

(सुब्रता हाजरा)
अवर सचिव एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
e-mail: rti-pmo.applications@gov.in
फोन: 2338 2590

विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय
साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली

प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा)

श्री राकेश श्रीवास्तव
14/60, यमन, सहारा स्टेट
जानकीपुरम, लखनऊ
उत्तर प्रदेश-226021

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राधिकरण से सम्पर्क करें।

As per inputs received from EAMO w.r.t his earlier similar RTIs, the applicant's letter no 43(I)/2007-CA(2) dated 19/07/2007 was forwarded to JS(Welfare) vide Dy no 8226/EAM/2007 on 13/08/2007. In view of this, forward the RTI to US(Welfare)/CPIO.

On file pls
2/6

Shvijan

Amit
3/6/15

US (RTI)

Pk. sph

2/6

SO(RTI)

4220_14/8/16 A220/11

सेवा में,

माननीय प्रधानमंत्री / जन सूचना अधिकारी,
प्रधानमंत्री कार्यालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

- 7 MAY 2016

विषयः **सूचना अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(1) के अधीन वांछित सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

अवगत कराना है कि भारत के महान देश भक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उपसेनाध्यक्ष आजाद हिन्द फौज के पौत्र के देश–विदेश में सामाजिक कार्य को देखते हुए माननीय राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने पौत्र–राकेश श्रीवास्तव को किसी देश का राजदूत बनाने के लिए पत्रांक संख्या–46(1)/2007–सीए(2) दिनांक 19 जुलाई, 2007 विदेश मंत्रालय कार्यवाही सम्पन्न हेतु पत्र प्रेषित किया। मगर विदेश मंत्रालय की उदासीनता व लापरवाही के चलते आज सन 2007 से 2016 बीत जाने के उपरान्त भी अभी तक देशभक्त के पौत्र/परिवार को राजदूत न बनाकर देशभक्त परिवार का घोर अपमान/उत्पीड़न वर्षों से किया जा रहा है, जो देशद्रोह की श्रेणी में आता है।

प्रेषक निम्न बिन्दुओं पर सूचनायें प्राप्त करना चाह रहे हैं:–

MEA

1. मा0 पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा भेजे हुए उपरोक्त पत्रांक संख्या 46(1)/2007–सीए(2) दिनांक 19 जुलाई, 2007 के संदर्भ में अभी तक मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही सम्पन्न की गयी।
2. यदि कोई कार्यवाही सम्पन्न नहीं की गयी तो क्यों?
3. उपरोक्त पत्रांक संख्या पर इन दस वर्षों में जो भी कार्यवाहियाँ सम्पन्न की गई हैं, उनका विस्तृत ब्योरा देने का कष्ट करें।

प्रेषक
Rakesh Srivastava
01/05/2016

प्रतिलिपिः–
1. राष्ट्रपति भारत सरकार।
2. मा0 प्रधानमंत्री, भारत सरकार।
3. मा0 मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय।
4. मुख्य सर्तकता आयोग / लोकायुक्त।
4. प्रेषित पत्र प्रेस एवं मीडिया सेल।

राकेश श्रीवास्तव
सम्पादक / प्रकाशक–प्रेस
पौत्र–महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी,
रामस्वारथ लाल, उपसेनाध्यक्ष, आजाद हिन्द फौज,
14 / 60, यमन, सहारा स्टेट, जानकीपुरम्,
लखनऊ–226021

URGENT
RTI ACT
Diary No. 45762
& Date 07/05/16
Last Date 19/05/16

44074 G

संयुक्त सचिव
Joint Secretary
☎ 23792102

राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति भवन
नई दिल्ली-110004
President's Secretariat
Rashtrapati Bhawan
New Delhi-110004

सं॰-43(1)/2007-पीए(2) 19 जुलाई, 2007

आदरणीय श्री [illegible] जी,

[illegible] दिनांक 11 जुलाई, 2007 [illegible] के लिए [illegible]

[illegible]

(हस्ताक्षर) [illegible]
([illegible])

[illegible]
[illegible]
बस्ती (उ॰प्र॰),
पिन - 272002.

https://f4check.rediff.com/bn/downloads.cgi/2.JPG?login=ramkumar_1053&session_id=4L24PK1KZKSUO21ELrMDBhWwD5k75LEV&formname=download

संख्या 20011/35/2015-समन्वय-II

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

समन्वय-II अनुभाग

....

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक : , 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय: श्री राकेश श्रीवास्तव की याचिका।

मुझे [illegible] विषय पर मंत्रिमंडल सचिवालय से प्राप्त प[illegible] /1/1/2015-टी.यू. दिनांक 2.2.2015 एवं उसके [illegible]सुश्री राकेश श्रीवास्तव की याचिका मूल [illegible] भेजने का निदेश हुआ है।

2. [illegible]सुश्री राकेश श्रीवास्तव की याचिका पर उचित कार्यवाही [illegible]ई कार्यवाही से याचिकाकर्ता, मंत्रिमंडल सचिवालय को इस मंत्रालय [illegible] सूचित करें।

संलग्नक: उपरो[illegible]

(ए.के. अग्रवाल)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
विदेश मंत्रालय
[संयुक्त सचिव (सी.पी.ओ.)]
सी.पी.वी. डिविजन
पटियाला हाउस अनेक्सी
तिलक मार्ग नई दिल्ली

प्रति सूचनार्थ प्रेषित:-
श्री राकेश श्रीवास्तव
सम्पादक एवं प्रकाशक,
नवजीवन ज्योति समाचार पत्र
16/60 [illegible]
[illegible]

(ए.के. अग्रवाल)
अवर सचिव भारत सरकार

Usha

Northern Railway

Headquarters Office
Baroda House
New Delhi.

No.628-R/Charbagh LKO/2014
513-R/New Delhi DLI/2014

Dt. 24 .11.2014

To, Sr. Divisional Commercial Manager,
Northern Railway
Delhi & Lucknow.

Sub:-Renaming of New Delhi Railway station as "Subash Chander Bose & Charbagh Lucknow station as Ram Swarath Lal.

Ref:- Representation Of Editor & publisher Nav jewan Karanti News paper letter No.01 dt.01.07.2014.

In reference to above cited letter, you are requested to approach concerned state government authority (District Collector) for examining the proposal with recommendation.

The state Government (District Collector) office, shall obtain approval of **Ministry of Home Affairs (Govt of India)** (Director /SR. North Block , New Delh110001) & **Superintendent Surveyor, Office Of the Surveyor General of India , Post Box No 37, Dehradun – 248001 Uttrakhand (INDIA)**.

On receipt of approval from Ministry of Home affairs Govt of India & Survey of India office ,the state Government (District Collector) shall forward the proposal to your office. The same may be forwarded to this office for further necessary action.

[redacted]

(DAVENDRA SINGH)
ACM/Rates
for Chief Commercial Manager/FM

COPY :1. Sh.Rakesh Shrivastav . Editor & publisher Nav jewan Karanti News paper 14/60 Yaman Sahra State Janki puram Lucknow (UP).-226021.

2. Dy. Director/Traffic General-IV, Ministry of Railways, Railway Board, New Delhi in reference to their letter No. 2014/TG-IV/ 1&4/NR/C dt.29.10.2014 for information please.

निदेशक
Director

राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति भवन
नई दिल्ली-110004
President's Secretariat
Rashtrapati Bhavan
New Delhi-110004

सं०-22(5)/2006-सीए(2)

29 सितम्बर, 2006

आदरणीय श्री राकेश श्रीवास्तव जी,

राष्ट्रपति जी को प्रेषित आपका दिनांक 18 सितम्बर, 2006 का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें आपने देशभक्तों एवं स्वतंत्रता सेनानियों को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की है। आपका पत्र उचित कार्यवाही के लिए गृह मंत्रालय को भिजवा दिया गया है।

सादर,

आपका,

वरुण मित्रा

(वरूण मित्रा)
निदेशक

श्री राकेश श्रीवास्तव,
शिवा कालोनी म०न० 645/6,
बस्ती (उ०प्र०)
पिन - 272002.

https://f4check.rediff.com/bn/downloadajax.cgi/1.jpg?login=ramkumar.1063&session_id=4L2ePK1KZXSUO21EUrMDBhWwD5k75LEV&formname=download

विजय कुमार मलहोत्रा
संसद सदस्य
VIJAY KUMAR MALHOTRA
M.P.
Dy. Leader & Spokesman
B.J.P. Parliamentary Party (Lok Sabha)
Chairman
Public Accounts Committee (Lok Sabha)

6, डॉ बिशम्बर दास मार्ग,
नई दिल्ली - 110 001
6, Dr BISHAMBER DASS MA
NEW DELHI - 110 001
TEL : 2371 5051, 2371 507C
FAX : 91-11-2371 5045

22 अगस्त 2006

प्रिय श्री राकेश श्रीवास्तव,

आजाद हिन्द फौज के सेनाध्याक्ष श्री सुभाष चन्द्र बोस एवं उप-सेनाध्यक्ष श्री राम स्वारथ लाल को भारत रत्न सम्मान देने के संबध में आपका पत्र प्राप्त हुआ। मैं इस मामले को संसद में उठाउंगा।

सधन्यवाद,

भवदीय,

विजय कुमार मलहोत्रा

श्री राकेश श्रीवास्तव,
पौत्र-श्री राम स्वारथ लाल,
645/6, शिवा कालोनी,
बस्ती, उ0प्र0 - 272 002.

स्वतंत्रता के पच्चीसवें वर्ष

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम स्वारथ लाल की संसद भवन परिसर में लगेगी प्रतिमा

आजाद हिन्द फौज के नायक को संसद का सलाम

बस्ती। स्वाधीनता संग्राम की नींव के पत्थर आखिरकार हमारी संसद को याद आ ही गए। संसद ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले आजाद हिन्द फौज के नायक रहे उप सेनाध्यक्ष राम स्वारथ लाल की प्रतिमा को संसद भवन में स्थापित करने का निर्णय लिया है। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की टीम के सिपहसालार रहे बस्ती के रियल हीरो को भारत रत्न देने के प्रस्ताव पर भी राष्ट्रपति के समक्ष विचार किया जा रहा है।

इस आशय का एक पत्र लोकसभा सचिवालय से गत 24 अप्रैल को राम स्वारथ लाल श्रीवास्तव के पौत्र राकेश श्रीवास्तव को प्राप्त हुआ। पत्र में अपर सचिव लोक सभा सचिवालय ने लिखा है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व. रामस्वारथ लाल के स्वतंत्रता संग्राम के योगदान को देखते हुए संसद भवन परिसर में उनकी मूर्ति लगाने का प्रस्ताव आया है। संसद भवन परिसर में राष्ट्रीय नेताओं और सांसदों की मूर्तियां लगाए जाने संबंधी संयुक्त समिति ने निर्णय लिया है कि यदि स्व. श्रीवास्तव की मूर्ति एक माह के भीतर कोई दान कर दे तो उनकी यह मूर्ति संसद भवन परिसर में स्थापित कर दी जाएगी। इस सूचना पर रामस्वारथ लाल के पौत्र राकेश लाल ने अपनी ओर से मूर्ति दान करने का प्रस्ताव लोकसभा को भेज दिया है। यही नहीं राकेश लाल के प्रस्ताव पर स्व. रामस्वारथ लाल को भारत रत्न से सम्मानित करने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति भवन से गत 28 सितंबर 06 को राष्ट्रपति सचिवालय के निदेशक वरुण मित्रा का यह पत्र आया है कि राकेश लाल द्वारा भेजा गया प्रस्ताव उचित है और अग्रिम कार्यवाही के लिए इसे गृह मंत्रालय को अग्रसारित किया जा रहा है। विदित हो कि 1943 में रामस्वारथ लाल श्रीवास्तव नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में गठित आजाद हिन्द फौज में नेताजी के निकट सहयोगी रहे। सेना में उन्हें उपसेनाध्यक्ष का पद नेताजी ने उनकी योग्यता और देश भक्ति को देखते हुए सौंपा था। तब से लेकर आजादी तक स्व. श्रीवास्तव इस पद पर रहे। देश के लिए उनके योगदान को देखते हुए 15 अगस्त 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्र की ओर से इन्हें ताम्र पत्र, स्मृति चिन्ह व पुरस्कार भेंट किया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि स्व. श्रीवास्तव को न तो वह सम्मान मिला जिसके वे हकदार थे और न ही इतिहास के पन्नों में उन्हें जगह मिल पाई। संसद परिसर में उनकी मूर्ति स्थापित होना उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के समान है।

जागरण सिटी

फोन 2450886

आपका वन्स अगेन

प्रतिभा फोन 2238375

ISHQ FOREVER

इश्क फारएवर

नावेल्टी

नावेल्टी

लखनऊ बार एसोसिएशन की मतगणना जारी

विधि संवाददाता, लखनऊ : लखनऊ बार एसोसिएशन के चुनाव में बुधवार को अध्यक्ष, महामंत्री सहित अन्य पदों पर मतगणना पूरी नहीं हो सकी। शेष मतों की गणना 18 फरवरी को सुबह नौ बजे शुरू होगी। मुख्य चुनाव अधिकारी [illegible] कुमार वाजपेयी ने बताया कि 16 फरवरी को 15728 वैध मतदाताओं में 4246 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष, महासचिव एवं कोषाध्यक्ष पदों पर तीन हजार मतों की गणना हुई, वहीं अन्य पदों पर भी मतगणना जारी है।

अध्यक्ष पद पर [illegible] प्रसाद शुक्ला अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सुनील कुमार सिंह सिकरवार से मामूली बढ़त बनाए हुए हैं। महासचिव पद पर विनोद सिंह यादव 'नीटू' अपने प्रतिद्वंद्वी [illegible] नारायण शुक्ला 'बच्चू' से 442 मतों से आगे चल रहे हैं। [illegible] कोषाध्यक्ष पद पर [illegible] अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मनोज श्रीवास्तव से बढ़त बनाए हुए हैं। सहायक चुनाव अधिकारी राकेश कुमार मिश्रा व [illegible] गुप्ता ने बताया कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष (दो पद), संयुक्त सचिव (3 पद), वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य (6 पद) एवं कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य (6

[illegible] में तीन दिवसीय [illegible] का आयोजन किया जा रहा है। 18 से 20 फरवरी तक चलने वाले कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। अंतिम दिन [illegible] कार्यक्रम होगा।

दी आग से बचाव की जानकारी

संवू, लखनऊ : अग्नि सुरक्षा पखवाड़े के मद्देनजर बुधवार को अग्नि से सुरक्षा एवं बचाव के संबंध में अग्निशमन अधिकारी इंदिरानगर एफएसओ और फायरकर्मियों ने दोपहर 12:30 बजे विकासनगर के सेक्टर 9 के [illegible] अपार्टमेंट में मॉक अभ्यास आयोजन कर लोगों को गैस सिलेंडर में आग लगाकर बुझाने का प्रदर्शन किया गया।

अग्निशमन अधिकारी इंदिरानगर एफएसओ ने अपार्टमेंट में रह रहे लोगों को सुरक्षा संबंधी गुर दिए। कहा कि आग की घटनाओं के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाने और

यहां भी हुई मॉक ड्रिल

- [illegible]
- सिल्वेटी [illegible] अपार्टमेंट
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

चारबाग स्टेशन का नाम बदलने की मांग

जागरण संवाददाता, लखनऊ : आजाद हिंद फौज के लेफ्टिनेंट रहे नेताजी राम स्वरूप लाल के नाम पर चारबाग स्टेशन का नामकरण की मांग हुई है। यह मांग उनके पौत्र राकेश श्रीवास्तव ने रेल मंत्रालय को पत्र लिखकर की है।

राकेश श्रीवास्तव का दावा है कि नेताजी राम स्वरूप लाल आजाद हिंद फौज के उपसेनाध्यक्ष थे और वह लेफ्टिनेंट का पद संभालने वाले एकमात्र सेनानी थे। सन 1943 में आजाद हिंद फौज के गठन के समय वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में आए थे। नेताजी ने उनको लेफ्टिनेंट पद की जिम्मेदारी सौंपी थी। उस समय लेफ्टिनेंट का पद उप सेनाध्यक्ष का होता था। इसकी पुष्टि 1939 में छपी कई हिंदी और अंग्रेजी शब्दकोष में भी होती है। कोहिमा में हुई बमबारी के समय उन्होंने अपने दाएं हाथ का अंगूठा गवा दिया था। देश की आजादी मिलने के 25 साल बाद तक वह दर दर भटकते रहे। उनको 15 अगस्त 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्र की ओर से ताम्र पत्र प्रदान किया था। उनका देहांत 15 अगस्त 1997 को हो गया था।

राकेश श्रीवास्तव ने चारबाग स्टेशन का नाम ले. राम स्वरूप लाल के नाम पर करने की मांग का पत्र राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रेलमंत्री, इतिहासकारों, मानव व संसाधन मंत्रालय से भी की है। उन्होंने नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विख्यात इतिहासकार प्रोफेसर विपिन चंद्रा को भी पत्र लिखा था। राकेश श्रीवास्तव ले. राम स्वरूप लाल को मरणोपरांत भारत रत्न दिलाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं।

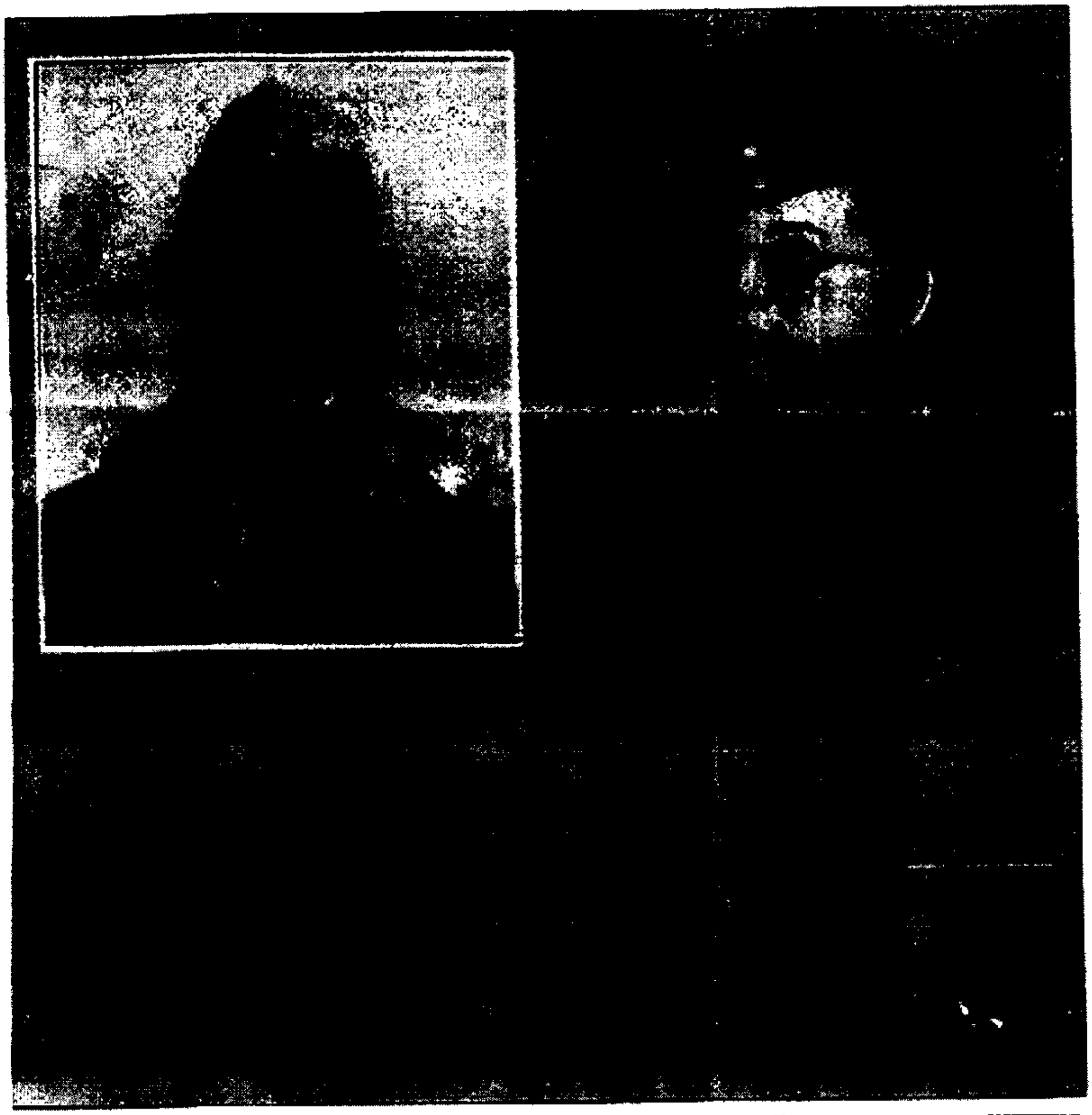

[redacted] [redacted]

सेवा में,

मा० नरेन्द्र मोदी जी,
प्रधानमंत्री
भारत सरकार, नई दिल्ली।

महोदय,

अवगत कराना है कि भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम आजादी के महानायक सेनानायक नेता जी सुभाष चन्द्र बोस, सेनाध्यक्ष आजाद हिन्द फौज एवं नेता जी राम स्वारथ लाल उपसेनाध्यक्ष, आजाद हिन्द फौज ने देश की स्वतंत्रता के लिये अपना सब कुछ कुर्बान कर, देश को स्वतंत्रता दिलायी। मगर देश का दुर्भाग्य कहा जायेगा कि आजादी के दोनों महानायक एवं उनका परिवार आज अपने ही देश में गुमनाम है न तो योगदान अनुसार सम्मान भारत रत्न मिला न ही इतिहास के पन्नों में उचित स्थान, क्या नैतिकता का पतन हो चुका है एवं इंसानियत खत्म हो गयी है, जो देशभक्तों एवं उनके परिवार का उत्पीड़न एवं घोर अपमान सरकारें देश आजादी से अब तक करती आ रही हैं।

अतः आपसे निवेदन है कि मा० राष्ट्रपति महोदय द्वारा सम्पूर्ण पत्र सं०–43 (1)/2007–सीए (2) का अवलोकन कर पत्र को संज्ञान में लेकर उपरोक्त देशभक्तों को मरणोपरान्त भारत रत्न तथा मा० राष्ट्रपति के पत्र को संज्ञान में लेकर पौत्र को किसी देश का राजदूत बनाने की कृपा करें एवं रेल मंत्रालय के पत्र को संज्ञान में लेकर देशभक्तों के सम्मान में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तथा चारबाग रेलवे स्टेशनों का नामकरण उनके नाम पर करने की कृपा करें। अन्यथा मजबूर होकर हजारों समर्थक प्रेस, मीडिया, टी०वी० चैनल के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय/निवास पर आमरण–अनशन पर बैठने एवं उच्चतम न्यायालय में (सन् 2006 से अब तक लगभग 10 वर्षों से) देशभक्त परिवार का घोर अपमान एवं उत्पीड़न का मुकदमा दायर करने दिल्ली आ रहा हूं। सम्मान दें, सम्मान पायें। **देशभक्त एवं परिवार के साथ न्याय करें।**

आपके इस कार्य की सराहना सम्पूर्ण देश की जनता करेगी।

प्रेषक
05/05/2016

प्रेषित पत्र–

1. मा० राष्ट्रपति, भारत।
2. मा० मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय।
3. मा० मुख्य सतर्कता आयोग, सी०वी०सी०
4. मा० मानवाधिकार आयोग,
5. मा० विदेश मंत्री, भारत सरकार
6. मा० गृह मंत्री, भारत सरकार
6. मा० रेल मंत्री, भारत सरकार
7. मा० अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा।
8. मा० प्रेस एवं मीडिया चैनल/संसद सदस्य

राकेश श्रीवास्तव
सम्पादक/प्रकाशक–प्रेस
पौत्र–महान देश भक्त स्वतंत्रता सेनानी,
नेता जी रामस्वारथ लाल, उपसेनाध्यक्ष
आजाद हिन्द फौज
पता–14/60, यमन सहारा स्टेट जानकीपुरम्,
लखनऊ।
सम्पर्क–9451016573

BY REGISTERED POST

विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
NEW DELHI

MOST IMMEDIATE
RTI MATTER

No.Q/Wel/551/4/2016

22nd April, 2016

Shri Rakesh Shrivastav,
14/60 Yaman Sahara State,
Janki Puram,
Lucknow -22601(UP)

Sir,

Please refer to your RTI application No. IPO/238/RTI/MEA/16 dated 05.04.2016.

2. Your application is a request for grievance redressal and not an RTI application seeking information under RTI Act, 2005. RTI Act, 2005 does not envisage redressal of grievances and is basically meant to seek 'information' defined under Section 2(f) of the RTI Act, 2005, which is held by a public authority.

3. However, your request has been forwarded to the concerned authorities for taking appropriate action.

4. If you are aggrieved with this reply, you may file an appeal with Smt Apoorva Srivastava, Director & Appellate Authority, Room No. 4095, A-Wing, Jawahar Lal Nehru Bhawan, 23-D, Janpath, New Delhi-110011 (Tel: 011-49015363, Fax: 011-49015364) within 30 days of receipt of this letter.

Yours sincerely,

O/c

(Y.K. Shukla)
Under Secretary (Welfare & CPIO),
Room No. 1015, C-Wing,
Jawahar Lal Nehru Bhawan
Tele:No.49015300
Fax No.49015233

विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
NEW DELHI

MOST IMMEDIATE
RTI MATTER

No.Q/Wel/551/4/2016 1st July, 2016

Shri Rakesh Shrivastav,
14/60 Yaman Sahara State,
Janki Puram,
Lucknow -22601(UP)

Sir,

Please refer to your RTI application No. IPO/374/RTI/MEA/16 dated 01.05.2016 received on 03.06.2016 from PMO, New Delhi.

2. A similar RTI application was received on 05.04.2016 which was replied vide our letter of even number dated 22nd April, 2016. Copy of the communication is enclosed for your kind information.

3. If you are aggrieved with this reply, you may file an appeal with Smt Apoorva Srivastava, Director & Appellate Authority, Room No. 4095, A-Wing, Jawahar Lal Nehru Bhawan, 23-D, Janpath, New Delhi-110011 (Tel: 011-49015363, Fax: 011-49015364) within 30 days of receipt of this letter.

Yours sincerely,

(Y.K. Shukla)
Under Secretary (Welfare & CPIO),
Room No. 1015, C-Wing,
Jawahar Lal Nehru Bhawan
Tele:No.49015300
Fax No.49015233

Copy for information to :

1. Shri Subrato Hajra, US & CPIO, PMO, New Delhi
2. US(RTI)
3. US(FSP)
4. DS(DD), by e-mail at dsdd@meaindia.in.
5. **Publicity Officer(XMM), by email at poxmm@meaindia.in**